न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 209/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– आईदान पुत्र बालकिशन 2– मालूराम पुत्र बालकिशन जातियान राव निवासी कौलू तहसील फलौदी 3– ठाकुरालाल पुत्र सुखदेव जाति पालीवाल निवासी मण्डलाखुर्द निवासी मंडलाखुर्द तहसील फलौदी 4– धमाराम पुत्र गिरधारीराम 5– माडुदेवी पुत्री गिरधारीराम जातियान राव निवासी दासनिया तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1– मीरादेवी पत्नी बालकिशन 2– रेवतराम पुत्र बालकिशन 3– इन्द्राराम पुत्र बालकिशन 4– अनोपी पुत्री बालकिशन पत्नी हमीराराम जातियान राव निवासी कोलू राठौडा, तहसील फलोदी 5– जमना पुत्री बालकिशन पत्नी भंवरलाल जाति राव निवासी हेमसिह का कटला के बाहर शांति भवन के पास, महामंदिर जोधपुर 6– कमला पुत्री बालकिशन पत्नी जगदीश जाति राव निवासी रावो का बास, शेरगढ जोधपुर 7– मगु पत्नी घेवरराम 8– भोमाराम पुत्र घेवरराम नाबालिग जरिये माता मगु 9– ईश्वरी पुत्री घेवरराम नाबालिग जरिये माता मगु 10–इमरता पुत्र मोतीराम 11–मोहन पुत्र मोतीराम जाति राव निवासी कोलू राठोडा, तहसील फलोदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 12–8–2011 जो राजस्व अपील संख्या 28/2008 अनवान मीरादेवी बनाम आईदान वगैरा मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ओर से ।
3– श्री घेवरराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3,5,6,10 एवं 11की की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–12–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोजा कोलू राठौडा के खेत खसरा नंबर 145 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 157 रकबा 80 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 234 रकबा 82 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 144 रकबा 04 बिस्वा कुल 176 बीघा 18 बिस्वा भूमि बालकिशन व चेना पिता मंगला के खातेदारी की दर्ज थी । उक्त खातेदारान की मृत्यु होने पर उक्त खातेदारी की भूमि का फोतेदगी का नामांतरकरण संख्या 334 पारित किया गया जिसमे केवल मृतक बंशीलाल के चार पुत्रो वर्तमान अपीलांट संख्या 1 आईदान, अपीलांट संख्या 2 मालूराम एवं रेस्पो0 संख्या 2 रेवतराम व रेस्पो0 संख्या 3 इन्द्राराम पि0 बालकिशन के नाम स्वीकृत किया गया जबकि मृतक खातेदार बालकिशन की पत्नी एवं पुत्रियां जो कि प्रथम श्रेणी की वारिस थी उन्हे उक्त खातेदारी की भूमि से वंचित रख दिया जाने पर वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 मीरोदेवी पत्नी बालकिशन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन संख्या 334 के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–8–2011 के द्वारा अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन

संख्या 334 ग्राम कोलू राठोडा का निरस्त कर तहसीलदार फलोदी को उक्त अपीलाधीन भूमि मे मृतक बालकिशन के वारिसान के साथ अपीलांट मीरादेवी एवं पुत्रियो का नाम बराबर हिस्से मे दर्ज किया जाकर नामांतरकरण स्वीकृति की कार्यवाही करे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर मृतक बालकिशन के विधिक वारिसान की जांच करवाये बिना सीधे ही उनके नाम म्युटेशन दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जबकि मृतक बालकिशन की पुत्री धनी के उतराधिकारियो को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत अपील पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । इसके अलावा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि मे से रेस्पो0 संख्या 3 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का रजिस्टर्ड बेचान कर दिया था जिसके संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय मे आपत्ति भी प्रस्तुत की थी परंतु उक्त आपत्ति को निर्णित किये बिना तथा क्रेतागणो को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो पक्षकारो के अंसयाजेन के कारण निरस्त योग्य थी परंतु इस बिन्दु पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के सभी वारिसान के बराबर हिस्से बाबत म्युटेशन का आदेश पारित करने मे त्रुटि की है जबकि पुत्रियों का बालकिशन के 1/5वें हिस्से मे बराबर का हिस्सा ही बनता था अथार्त सम्पूर्ण भूमि के 1/9 हिस्से मे पुत्रियो का अधिकार बनता था परंतु इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलंब से प्रस्तुत अपील मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया जबकि पहले धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना आवश्यक था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि मे से कुछ भूमि का बेचान हो चुका है तथा बेचान के आधार पर क्रेतागणो के अधिकार उक्त भूमि मे सृजित हो चुके है ऐसे मे म्युटेशन की कार्यवाही के जरिये उनके अधिकारो को समाप्त नही किया जा सकता है इसलिए पुत्रियां एवं पत्नी अपीलाधीन भूमि मे अपना अधिकार होना मानती है तो उन्हे दावे के जरिये ही अपने अधिकारो की घोषणा करवानी होगी म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये अधिकारो का निर्धारण संभव नही है । अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–8–2011 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाधीन भूमि के बेचान होने का तथ्य प्रकट ही नही किया गया तथा यह भी कथन किया कि यह अपील केतागणो द्वारा नही की गई है तथा यह भी कथन किया कि बेचान केवल इन्द्राराम ने ही कुछ हिस्से का किया है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार बालकिशन के 9 वारिसान थे परंतु केवल 4 वारिसान का नाम म्युटेशन मे दर्ज करते हुए पारित कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से ऐसे विधि आदेशो के विरूद्ध अपील करने मे मयाद का बिन्दु लागू नही होता है तथा यह भी कथन किया कि मृतक की पत्नी एवं पुत्रियो को हिन्दु उतराधिकार अधिनियम मे प्रथम श्रेणी के वारिस होने से उनका अपीलाधीन भूमि मे बराबर का हिस्सा ही माना जायेगा इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधि एवं न्यायसंगत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन नामांतरकण एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया तथा इस न्यायालय हाजा के समक्ष पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपीलाधीन भूमि के संबंध मे हुए बेचान संबंधी दस्तावेज आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 334 जो कि फोतेदगी का भरा जाकर स्वीकृत हुआ है जिसमे केवल मृतक खातेदार बालकिशन के चार पुत्रो का ही नाम वारिसान के रूप मे दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया था जबकि मृतक खातेदार के 4 पुत्र, 4 पुत्रियां एवं उसकी पत्नी कुल 9 प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान जीवित थे परंतु उन सभी का नाम अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 334 मे दर्ज नही किया गया, जो विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नामांतरकरण संख्या 334 के विरूद्ध मृतक बालकिशन की पत्नी मीरादेवी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत प्रतीत होता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन भूमि मे से बेचान की गई भूमि का तथ्य प्रकट ही नही किया जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे कोई विवेचन नही किया चूँकि अब इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन भूमि मे से कुछ भूमि के बेचान का तथ्य प्रकट हो चुका है तथा केतागण भी इस अपील मे पक्षकार बन चुके है ऐसे मे बेचान के आधार पर केतागण के अधिकार भी अपीलाधीन भूमि मे सृजित हो चुके है, ऐसे मे उन्हे भी सुना जाना आवश्यक है ।

ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–8–2011 के द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 334 को निरस्त किया जा चुका है तथा प्रकरण तहसीलदार फलोदी को निर्णय मे दिये गये निर्देशो की पालना हेतु रिमाण्ड किया है, वह समर्थन योग्य है परंतु वर्तमान अपील मे अपीलाधीन भूमि के बेचान का नया तथ्य प्रकट होने से उक्त निर्णय मे इस आशय का आंशिक संशोधन किया जाता है कि तहसीलदार फलोदी मृतक बालकिशन के विधिक वारिसान के साथ

केतागण अपीलांट संख्या 3 ठाकुरलाल पुत्र सुखदेव पालीवाल को एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियो को भी सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से नामांतरकरण की कार्यवाही करें । उक्त अतिरिक्त निर्देशो के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 28–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

।